दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 272 / 2020 दिनांक : 27.03..2020

कार्यालय–ज्ञाप

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 591 / सत्तर–1–2020 दिनांक 27–03–2020 द्वारा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में कोविड–19 (कोरोना वॉयरस) के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिगं के परिपेक्ष्य में शिक्षक व शिक्षेणत्तर कर्मिकों के लिये "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन में तथा विश्वविद्यालय के इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.03.2020, दिनांक 19.03.2020 दिनांक 25.03.2020 के क्रम में आदेशानुसार विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रखते हुये निम्नवत दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेम्बर्स / शिक्षक / शोधार्थी / शिक्षणेत्तर कर्मचारी दिनांक 14.04.2020 तक "वर्क फ्राम होम" की पद्धति से कार्य करेगें।
2. विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेम्बर्स / शिक्षकों / शोधार्थियों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा :–
   - क) आनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना, आनलाइन शिक्षण कार्य व आनलाइन मूल्यॉकन कार्य करना।
   - ख) लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षिक सत्र / सेमेस्टर के लिए तैयार करना।
   - ग) शोध कार्य जारी रखना।
   - घ) अर्टिकल, पत्र इत्यादि लिखना।
   - ड) प्रश्न कोष के लिए नवाचारी प्रश्नो को तैयार करना।
   - च) "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।
3. फैकल्टी मेम्बर्स / शिक्षक / शोधार्थियों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा तदर्थ एवं संविदा शिक्षकों, जिनकी संविदा दिनांक 14.04.2020 तक वैध है, की उपरोक्त अवधि सेवावधि के रूप में गणना की जायेगी।
4. विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक भवनों, शैक्षणिक भवनो, छात्रावासों सहित सम्पूर्ण परिसर के सेनिटाइजेशन अनवरत जारी रहेगा, साथ ही आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जायेगे। विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केन्द्र कोविड–19 (कोरोना वॉयरस) के प्रसार की रोकथाम हेतु निरन्तर कार्यशील रहेगा।
5. विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेम्बर्स / शिक्षककों / शोधार्थियों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पर्क सूत्र यथा मोबाइल नम्बर / ई–मेल / व्हाट्सएप्प आदि से विश्वविद्यालय से जुड़े रहेगें ताकि उनसे विशेष परिस्थितियों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

उपरोक्त आदेशो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। सम्बन्धित दिशा निर्देश सम्बद्ध महाविद्यालयों पर भी प्रभावी होगे।

27.3.2020
उप–कुलसचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, सुलतानपुर, अमेठी एवं लखनऊ।
2. ब्यूरो प्रमुख / सम्पादक / संवाददाता.................................... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपर्युक्त सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में जन हितार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / पुस्कालयाध्यक्ष को *इस आशय से प्रेषित की उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट दिन–प्रतिदिन इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।*
4. विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्य / प्राचार्या।
5. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी।
6. सेवायोजन सूचना के मंत्रणा केन्द्र विश्वविद्यालय परिसर।
7. अध्यक्ष / महामंत्री शिक्षक संघ, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
9. आशुलिपिक प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
10. मीडिया प्रभारी, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
11. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लॉग–इन आई0डी0 पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. पत्रावली।

उप–कुलसचिव (प्रशासन)

Scanned by TapScanner